

640

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:-प.3(273)नवि/3/2011

जयपुर, दिनांक: 130 SEP 2011

परिपत्र

राज्य सरकार के यह ध्यान में लाया गया है कि राज्य में भू-माफियाओं के पनपने से उनके द्वारा सरकारी भूमि पर पट्टे काटने, अतिक्रमण करने आदि की कार्यवाही की जा रही है। अतः आप अपने क्षेत्राधिकार में स्थित भूमि पर अतिक्रमण या माफिया तत्वों द्वारा पट्टे काटने संबंधी गतिविधियों पर सक्रियता से निगरानी रखें तथा ऐसी घटना सामने आने पर राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 व राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत विहित प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने का श्रम करावें।

(एन.एल.मीना)

उप शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री नगरीय विकास विभाग।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान को उनके अ0शा0पत्रांक 1986 दिनांक 29.8.2011 के संदर्भ में।
4. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
5. शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग, प्रथम/द्वितीय/तृतीय
6. सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग को प्रेषित कर निदेशानुसार लेख है कि पत्र की प्रति समस्त स्थानीय निकायों को प्रेषित कर आवश्यक निदेश प्रदान करें।
8. सचिव, नगर सुधार न्यास (समस्त)।
9. रक्षित पत्रावली।

29/9/2011
उप शासन सचिव-तृतीय